

न्यायालय राजस्व नण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 2810-एक/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 19-6-2013
पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर अपील प्रकरण क्रमांक
आरईसी/04/12-13

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड
खेड़ी ग्राम बडवाह जिला खरगोन म0 प्र0

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1 आबकारी आयुक्त म0 प्र0 मोतीमहल ग्वालियर
- 2 उन्नायुक्त, आबकारी डिवीजन फ्लाईग रकाट
उज्जैन जिला हंदौर

.....प्रत्यर्थीगण

श्री एस0 एन0 किरार, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

..... आ..... दे..... श.....
(पारित दिनांक 12 जून, 2014)

अपीलार्थी द्वारा वह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में बाद
में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (ग) के अंतर्गत बने अपीले पुनरीक्षण एवं
पुनरावलोकन नियमों के नियम-2 (स) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश मोतीमहल
ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 19-6-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई द्वारा परमिट क्रमांक
1277 दिनांक 24-11-2010 से 19992.0 प्र०लि० आर०एस० स्प्रिट मद्य भण्डारणार खाचरोद

को भेजी गई ; उक्त परेषण मद्य भण्डारागार खाचरोद पहुँचने पर पंचों एवं आसवक के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा परेषण का सत्यापन किया गया और सत्यापन करने पर 19841.4 प्र०लि० मदिरा प्राप्त हुई । इस प्रकार 150.6 प्र०लि० मदिरा कम प्राप्त हुई । जबकि म० प्र० आसवनी नियम 1995 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल आसवनी नियम कहा जावेगा) के नियम 6 (4) के अंतर्गत 0.1 प्रतिशत के हिसाब से निर्धारित 19.99 प्र०लि० मार्ग हानि घटाने पर 130.61 प्र०लि० अधिक मार्ग हानि होने के कारण उपायुक्त आबकारी उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/10-11 दर्ज किया जाकर दिनांक 15-3-2011 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी इकाई पर 62,693 रुपये शासित अधिरोपित की जाकर 15 दिवस के अंदर राशि जमा करने के आदेश दिये गये । उपायुक्त आबकारी, उडनदरता, उज्जैन के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 19-6-2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिन परिस्थितियों में रेक्टीफाईड स्प्रिट के परिवहन में भार्ग हानि हुई है वह परिस्थितिया अपीलार्थी इकाई के वश में नहीं थी, जैसे कि राइक का खराख होना आदि । यह नी कहा गया कि रेक्टीफाईड स्प्रिट के परिवहन में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक हुई मार्ग हानि से शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि शासन द्वारा जितनी रेक्टीफाईड स्प्रिट प्राप्त होती है उसी का भुगतान किया जाता है । अत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आसवनी नियमों के नियम 8 (4) में आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि अपीलार्थी इकाई पर शासित अधिरोपित की ही जाये । आबकारी उपायुक्त को निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि किन परिस्थितियों पर हुई है उन पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु आबकारी उपायुक्त द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उनके द्वारा पारित आदेश अवैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में आबकारी आयुक्त द्वारा द्वृटी की गई है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं -

(1) आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश पारित किया गया है।

(2) अपीलार्थी मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड बेबरीज लिमिटेड बड़वाह जिला खरगोन द्वारा प्रेषित ओ०पी० मदिरा परेषण में अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि (130.61) प्र०लि० पर आसवानी नियमों के नियम 8 (4) के प्रावधान अनुसार तत्समय देय अधिकतम ड्यूटी के तीन गुना अर्थात रूपये 450 प्रति प्र०लि० की दर से कुल 63,693 रूपये की शास्ति उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता गवालियर द्वारा आरोपित की गई है जो कि नियमानुसार सही है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अदलोकन किया गया। आसवनी नियमों के नियम 6 (4) में टेंकरों से 250 किलोमीटर तक स्प्रिट के परिवहन में मार्ग हानि की निर्धारित सीमा 0.1 प्रतिशत है। अतः अपीलार्थी इकाई द्वारा 15992.0 प्र०लि० रेक्टीफाईड स्प्रिट के किये गये परिवहन में 19.99 प्र०लि० मार्ग हानि होना चाहिये थी, जबकि मार्ग हानि 150.6 प्र०लि० हुई है। इस प्रकार निर्धारित मार्ग हानि से 130.6 प्र०लि० रेक्टीफाईड स्प्रिट की मार्ग हानि हुई है। आसवनी नियमों के नियम 8 (4) में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है, अतः उपायुक्त आबकारी द्वारा अपीलार्थी इकाई पर 62,693 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मात्य किये जाने योग्य नहीं है कि जिन परिस्थितियों में निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि हुई है वे परिस्थितिया अपीलार्थी इकाई के वश में नहीं थी और निर्धारित सीमा से अधिक मार्ग हानि होने से शारन को कोई हानि नहीं हुई है। कथोंकि प्रथमत अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा उन परिस्थितियों का विवरण देते हुये प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिन परिस्थितियों में मार्ग हानि हुई है, वह अपीलार्थी इकाई के वश में नहीं थी। द्वितीय उपरोक्त तर्कों के आधार पर आबकारी उपायुक्त द्वारा विधि के

प्रावधानों के अनुरूप की गई कार्यवाही को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(रवीप्रीष्ण सिंह)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर